UPBH010010102026

<u>न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), बहराइच।</u>

मुकदमा संख्या-240/2026
सरकार ---- प्रति- -----कामरान
अपराध संख्या-1050/2022,
धारा-135-1(ए) विद्युत अधिनियम 2003
थाना-एंटी पावर थेफ्ट, बहराइच

<u>13.04.2026</u>

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्त कामरान मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया। अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया। अतः अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

विद्युत विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा एक किलोवाट की घरेलू विधा की विद्युत चोरी करते पाए जाने पर अंतर्गत धारा-135-1(ए) ई.सी. एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोप पत्र मा० न्यायालय पर आया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा नहीं किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर बिना संयोजन लिए काले रंग के दो तार से घरेलू विधा में विद्युत चोरी करने का अभियोग है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपराध स्वीकार करने का कथन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त का यह पहला अपराध प्रतीत होता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की स्वैच्छिक संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त कामरान को धारा-135-1(ए) विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत रू० 2,000/-(दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न देने पर उसे दस दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विद्युत विभाग मामले को उपशमन किये जाने के उपरान्त अन्य देयता के संबंध में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुनील प्रसाद)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी० एक्ट),
बहराइच।
J.O. Code-UP6414

दिनांकः 13.04.2026